

अनुदान संख्या 58 - जम्मू और कश्मीर को स्थानांतरण
GRANT No. 58 - TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	35581,44,00		
		41751,44,00	41604,44,00	-147,00,00
पूरक	Supplementary	6170,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			147,00,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई:—

1. In the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “3602”	Major Head “3602”			
विधानमंडल वाली संघ शासित प्रदेश की सरकारों को अनुदान सहायता	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	3558144.00		
पू.	S.	617000.00	4160444.00	4160444.00
पु.	R.	-14700.00		..

(I) “विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान – विशेष सहायता – केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता” के अंतर्गत – ₹3558144.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में ₹617000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4175144.00 लाख कर दिया गया, जो कि, तथापि, झेलम और तवी बाढ़ पुनर्प्राप्ति परियोजना-बाह्य

(I) Under “Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Special Assistance - Central Assistance to Union Territories” - the original provision of ₹3558144.00 lakhs was augmented to ₹4175144.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹617000.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 which, however,

सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर सरकार को विश्व बैंक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति की सीमा तक धनराशि जारी करने के कारण ₹14700.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

remained unutilized to the extent of ₹14700.00 lakhs - due to release of funds to Government of Jammu and Kashmir under Jhelum and Tawi Flood Recovery Project-Externally Aided Project to the extent of reimbursement made by the World Bank.
